पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 जुलाई, 2017 ई0 (श्रावण 07, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

06 फरवरी, 2017 ई0

[उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सम्बन्धित मामले) विनियम, 2017]

सं0 F-9 (26) RG/UERC/2017/1685–विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के अधीन प्रदत शक्तियों और इस निमित सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है। यथा:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सम्बन्धित मामले) विनियम, 2017 होगा।

(2) ये विनियम 01.04.2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन:

इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(a) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(b) "स्पष्ट त्रुटि" से प्रत्येक 15 मिनट समय खण्ड हेतु निम्नलिखित फॉर्मूले का उपयोग करते हुए परिकलित अनुसूची उत्पादन तथा 'उपलब्ध क्षमता' (AvC) के संदर्भ में पवन या सौर उत्पादकों के वास्तविक उत्पादन में त्रुटि की स्पष्ट मात्रा अभिप्रेत होगी;

त्रुटि (%)=100x[वास्तविक उत्पादन –अनुसूचित उत्पादन]/(AvC);

(c) एक समय खण्ड में "वास्तविक निकासी" से इन्टरफेस मीटर्स द्वारा मापी गई यथा स्थिति, क्रेता द्वारा निकासित विद्युत अभिप्रेत है;

(d) एक समय खण्ड में "वास्तविक इन्जेक्शन" से इन्टरफेस मापक द्वारा मापी गई यथास्थिति, उत्पादित अथवा विक्रेता द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत अभिप्रेत है;

(e) पवन अथवा सौर उत्पादकों के लिये उपलब्ध क्षमता (AvC) से ऐसे पवन टर्बाईन्स या सौर इन्वर्टर्स की सकल क्षमता रेटिंग अभिप्रेत है जो कि दिये गये समय खण्ड में ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम हो;

(f) "लाभार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उत्पादक स्टेशन से विद्युत क्रय कर रहा है;

(g) "क्रेता" से लाभार्थी सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन और दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु लागू विनियमों के अनुसार एक संव्यवहार अनुसूची के माध्यम से विद्युत क्रय कर रहा है;

(h) "केन्द्रीय आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप–धारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(i) "आयोग" से अधिनियम की धारा 82 की उप–धारा (1) में संदर्भित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(j) एक विक्रेता हेतु समय खण्ड में "विचलन" से इसका कुल इन्जेक्शन ऋण (–) इसका कुल उत्पादन और एक क्रेता हेतु इसकी कुल वास्तविक निकासी ऋण (–) इसकी कुल अनुसूचित निकासी अभिप्रेत है;

(k) इन विनियमों के संबंध में "गेमिंग" से विचलनों हेतु प्रभार के माध्यम से एक अनुचित वाणिज्यिक लाभ कमाने के लिये किसी क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा घोषित क्षमता की जान बूझ कर मिथ्या घोषणा अभिप्रेत होगी;

(l) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (1) के खण्ड (h) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है;

(m) "इन्टरफेस मीटर्स" से समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 द्वारा परिभाषित रूप में इन्टरफेस मीटर्स अभिप्रेत है;

(n) "राज्यान्तर्गत विचलन प्रभार से इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट विचलन हेतु प्रभार" अभिप्रेत होंगे;

(o) "उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक" से ऐसा ग्राहक, व्यापारी, वितरण अनुज्ञापी या उत्पादक कंपनी अभिप्रेत है जिसे उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 और समय–समय पर इसके संशोधनों के अधीन उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किया गया;

(p) "उन्मुक्त अभिगमन विनियम" से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 और समय–समय पर इसके संशोधन अभिप्रेत हैं;

(q) किसी समय पर या किसी समय खण्ड के लिये या किसी अवधि हेतु "अनुसूचित उत्पादन" से राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रदान MW या MWh एक्स बस में 'उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है;

(r) किसी समय पर या समय खण्ड या किसी समय अवधि के लिये "अनुसूचित निकासी" से राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदान MW या MWh एक्स बस के प्रेषण की अनुसूची अभिप्रेत है;

(s) "विक्रेता" से उत्पादक स्टेशन सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन और दीर्घावधि अभिगमन हेतु लागू विनियमों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति कर रहा है;

(t) "राज्य भार प्रेषण केन्द्र" से अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है;

(u) "समय खण्ड" से 15 मिनट का ऐसा समय खण्ड अभिप्रेत है जिसके लिये विनिर्दिष्ट विद्युत मानदंडों और मात्राओं को 00.00 बजे से प्रथम समय खण्ड आरम्भ कर विशेष ऊर्जा मीटर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है;

वे शब्द और अभिव्यक्तियां जिन का यहां उपयोग किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा जारी अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में या आयोग द्वारा जारी ऐसे विनियमों में क्रमशः नियत किया गया है।

3. उद्देश्यः

इन विनियमों का उद्देश्य है ग्रिड के उपयोग कर्ताओं द्वारा विद्युत की निकासी और इन्जेक्शन के माध्यम से विचलन व्यवस्थापन हेतु वाणिज्यिक तंत्र द्वारा, समय–समय पर संशोधित सीईआरसी (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 और यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 के अधीन नियत किये ग्रिड अनुशासन और सुरक्षा को अनुरक्षित रखना।

4. परिधिः

(1) ये विनियम क्रेता और विक्रेता, अर्थात राज्य वितरण अनुज्ञापी (यों), राज्यान्तर्गत उत्पादक स्टेशनों और राज्य ग्रिड से जुड़े उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों (RE उत्पादकों को छोड़ कर) पर लागू होंगेः

[**स्पष्टीकरणः** 'राज्य ग्रिड' से राज्य पारेषण कंपनी/पारेषण अनुज्ञापी के स्वामित्व वाली राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली/नेटवर्क, और/या राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञापी (यों) के स्वामित्व वाली उच्च वोल्टेज प्रणाली/नेटवर्क अभिप्रेत है।]

परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्रोतों यथा SHPS पवन, सौर, बायोमास, सह–उत्पादन, बायोगैस इत्यादि जो राज्य ग्रिड से जुड़े हैं और राज्य के भीतर या बाहर ऊर्जा विक्रय कर रहे हैं को उस समय तक इन विनियमों से तब तक अपवर्जित रहेंगे जब तक कि आयोग उन्हें विचलन व्यवस्थापन तंत्र (DSM) की परिधि के अधीन लाने का निर्णय नहीं लेता। तथापि, राज्य ग्रिड के 11kV और उससे ऊपर पर जुड़े सभी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्रोत SLDC के पास अपनी अनुसूची जमा करेंगे ताकि वह प्रेषण अनुसूची तैयार कर सके।

(2) उत्पादन स्टेशन्स जिस में राज्यान्तर्गत पारेषण से सीधे जुड़े नवीकरणीय उत्पादन स्रोत जो राज्य के बाहर ऊर्जा की आपूर्ति कर रहे हैं, सम्मिलित है समय–समय पर संशोधित सीईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 द्वारा शासित होंगे।

5. विचलन हेतु प्रभारः

सभी समय–खण्डों के लिये विचलन हेतु प्रभार क्रेता द्वारा अतिनिकासी के लिये और विक्रेता द्वारा कम इन्जेक्शन हेतु देय होंगे तथा क्रेता द्वारा कम निकासी और विक्रेता द्वारा अति इन्जेक्शन हेतु प्राप्तियां, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर एक समय–खण्ड की औसत फ्रीक्वेंसी के आधार पर ज्ञात की जायेगीः

सारणी–1 विचलन हेतु फ्रीक्वेंसी आधारित प्रभार

समय खण्ड की औसत फ्रीक्वेन्सी (Hz)		विचलन हेतु प्रभार
से कम	तक	पैसे/kWh
	50.05 एवं अधिक	0.00
1	2	3
50.05	50.04	35.60
50.04	50.03	71.20
50.03	50.02	106.80
50.02	50.01	142.40
50.01	50.00	178.00
50.00	49.99	198.84
49.99	49.98	219.68
49.98	49.97	240.52
49.97	49.96	261.36
49.96	49.95	282.20

1	2	3
49.95	49.94	303.04
49.94	49.93	323.88
49.93	49.92	344.72
49.92	49.91	365.56
49.91	49.90	386.40
49.90	49.89	407.24
49.89	49.88	428.08
49.88	49.87	448.92
49.87	49.86	469.76
49.86	49.85	490.60
49.85	49.84	511.44
49.84	49.83	532.28
49.83	49.82	553.12
49.82	49.81	573.96
49.81	49.80	594.80
49.80	49.79	615.64
49.79	49.78	636.48
49.78	49.77	657.32
49.77	49.76	678.16
49.76	49.75	699.00
49.75	49.74	719.84
49.74	49.73	740.68
49.73	49.72	761.52
49.72	49.71	782.36
49.71	49.70	803.20
49.70		824.04

(प्रत्येक 0.01 Hz स्टैप हेतु विचलन के लिये प्रभार 50.05–50.00 Hz की फ्रीक्वेंसी सीमा में 35.60 पैसे/ kWh और 50 Hz से निम्न किन्तु 49.70 Hz तक फ्रीक्वेंसी सीमा में 20.84 पैसे/ kWh के बराबर है)

परन्तुः

(i) अनुसूची के 10% से अधिक में एक समय खण्ड में क्रेता द्वारा कम निकासी हेतु विचलन के लिये प्रभारों के विरूद्ध प्राप्तियां शून्य होंगी।

(ii) अनुसूची के 10% से अधिक में एक समय खण्ड विक्रेता द्वारा अति इन्जेक्शन हेतु विचलन के लिये प्रभारों के विरूद्ध प्राप्तियां शून्य होंगी, सिवाय अशक्त ऊर्जा के मामले में जो कि इस विनियम के उप–विनियम (3) द्वारा शासित होगी।

(2) विचलन हेतु प्रभारों की समय—समय पर आयोग द्वारा समीक्षा की जायेगी।

(3) यूनिट के COD से पहले परीक्षण के दौरान एक उत्पादक स्टेशन की उत्पादक यूनिट द्वारा ग्रिड में इन्जेक्ट की गई अशक्त ऊर्जा का भुगतान, ऐसे इन्जेक्शन हेतु उपयोग में लाये गये मुख्य ईंधन को तदनुरूप कैप दरों की सीमा के अधीन, अधिकतम 6 माह अथवा आयोग द्वारा अनुज्ञात विस्तारित समय की अवधि हेतु, परीक्षण के पश्चात् ग्रिड में इन्जेक्ट की गई अशक्त ऊर्जा के लिये विचलन हेतु प्रभारों पर, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार किया जायेगाः

डॉमेस्टिक कोल / लिग्नाईट / हायड्रो	₹ 1.78 / kWh सैंट आउट
आयातित कोयला	₹ 3.03 / kWh सैंट आउट
RLNG	₹ 8.24 / kWh सैंट आउट

(4) ईंधन के रूप में प्रशासित मूल्य तंत्र (APM) के अधीन आपूर्ति किये गये कोयला या लिग्नाईट या गैस का उपयोग करते हुए केन्द्रीय आयोग द्वारा विनियमित उत्पादक स्टेशनों के लिये विचलन व्यवस्थापन तंत्र के संबंध में प्रभार और निबंधन एवं शर्तें सीईआरसी विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों के अनुसार होंगे।

6. गेमिंग की घोषणा, अनुसूचीकरण और निरसनः

(1) गेमिंग की घोषणा, अनुसूचीकरण और निरसन की घोषणा हेतु समय—समय पर संशोधित यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर—जीवाश्म ईंधन आधारित सह—उत्पादन स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम 2013 तथा यूईआरसी (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तें) अधिनियम, 2015 के उपबंध लागू होंगे।

(2) उत्पादक स्टेशन, यथा संभव, राज्य ग्रिड के अनुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंतिम रूप दी गई अगले दिन उत्पादन अनुसूची के अनुसार विद्युत उत्पादन करेगा।

परन्तु प्रचालन के दिन पर उत्पादन अनुसूची में पुनरीक्षण, समय—समय पर संशोधित यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(3) आयोग स्वविवेक से या SLDC अथवा किसी प्रभावित पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका पर गेमिंग के आरोप पर किसी राज्य घटक यथा उत्पादक, वितरण अनुज्ञापी, उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही आरम्भ कर सकता है, और यदि आवश्यक हो ऐसे तरीके से जांच का आदेश दे सकता है जैसा आयोग द्वारा तय किये जाये। जब उपरोक्त जांच में गेमिंग का आरोप स्थापित हो जाये तो आयोग, अधिनियम या उसके अधीन विनियमों के अधीन किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी गेमिंग की अवधि के दौरान ऐसे राज्य घटक द्वारा प्राप्त किन्हीं विचलन प्रभारों को अस्वीकृत कर सकता है।

7. विचलन की मात्रा की सीमाएंः

(1) समय खण्ड के दौरान किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अतिनिकासी / कम निकासी, ग्रिड फ्रीक्वेन्सी "49.70 Hz और अधिक " तथा "50.10 Hz से कम" होने पर अपनी अनुसूचित निकासी के 10% से अधिक नहीं होगी।

परन्तु जब ग्रिड फ्रीक्वेन्सी "49.70 Hz से नीचे" है तो किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अति निकासी अनुज्ञेय नहीं होगी और जब ग्रिड फ्रीक्वेन्सी " 50.10 Hz से ऊपर" है तो किसी क्रेता द्वारा विद्युत की कम निकासी अनुज्ञेय नही होगी।

(2) एक समय खण्ड के दौरान विक्रेता द्वारा विद्युत की कम निकासी / अति निकासी, 49.70 Hz और इसके ऊपर तथा तथा 50.10 Hz से कम होने की स्थिति में ऐसे विक्रेता के अनुसूचित इन्जेक्शन के 10% से अधिक नहीं होगी।

परन्तु जब ग्रिड फ्रीक्वेन्सी "49.70 Hz से नीचे"है तो विक्रेता द्वारा विद्युत का कम इन्जेक्शन अनुज्ञेय नही होगा और जब ग्रिड फ्रीक्वेन्सी 50.10 Hz और इससे ऊपर" है तो एक विक्रेता द्वारा इसका अति इन्जेक्शन अनुज्ञेय नहीं होगा।

परन्तु परीक्षण एवं कमीशनिंग की गतिविधियों के दौरान एक यूनिट की COD से पहले एक उत्पादक स्टेशन द्वारा ऊर्जा के अशक्त इन्जेक्शन को अधिकतम 6 माह या आयोग द्वारा विस्तारित समयावधि हेतु ऊपर विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमा से छूट प्राप्त होगी।

परन्तु आगे यह कि स्टार्टअप गतिविधियों के लिये एक यूनिट के COD से पहले उत्पादक स्टेशन द्वारा की किसी निकासी को "49.70 Hz और इससे अधिक" ग्रिड फ्रीक्वेन्सी होने की स्थिति में ऊपर विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमा से छूट प्राप्त होगी।

8. विचलन मात्रा की सीमा पार करने पर अतिरिक्त प्रभारः

(1) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन नियत किये गये विचलन हेतु प्रभारों के अतिरिक्त समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी "49.70 Hz और इससे अधिक" होने पर, ऊपर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमा से अधिक पर प्रत्येक समय खण्ड हेतु विद्युत की अतिनिकासी तथा कम इन्जेक्शन हेतु, इस विनियम के उप–विनियम (5) में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार सारणी 4 में दी गई दरों पर अतिरिक्त प्रभार लागू होंगेः–

सारणी–4: विचलन की मात्रा की सीमा से अधिक विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार

1	एक समय खण्ड में किसी क्रेता द्वारा अनुसूची के 10% से अधिक और 15% तक की विद्युत की अतिनिकासी हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 20% के बराबर
2	एक समय खण्ड में किसी क्रेता द्वारा अनुसूची के 15% से अधिक और 20% तक की विद्युत की अतिनिकासी हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 40% के बराबर
3	एक समय खण्ड में किसी क्रेता द्वारा अनुसूची के 20% से अधिक की विद्युत की अतिनिकासी हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 100% के बराबर
4	एक समय खण्ड में किसी विक्रेता द्वारा अनुसूची के 10% से अधिक और 15% तक विद्युत के कम इन्जेक्शन हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 20% के बराबर
5	एक समय खण्ड में किसी विक्रेता द्वारा अनुसूची के 15% से अधिक और 20% तक विद्युत के कम इन्जेक्शन हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 40% के बराबर
6	एक समय खण्ड में किसी विक्रेता द्वारा अनुसूची के 20% से अधिक विद्युत के कम इन्जेक्शन हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 100% के बराबर

परन्तु स्टार्ट–अप गतिविधियों के लिये एक यूनिट से COD से पहले उत्पादक स्टेशन द्वारा ऊर्जा की निकासी को विचलन के अतिरिक्त प्रभारों के आरोपण से छूट प्राप्त होगी।

(2) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन नियत किये गये विचलन प्रभारों के अतिरिक्त ग्रिड फ्रीक्वेंसी "50.10 Hz और अधिक होने की स्थिति में 50.01 से नीचे किन्तु 50.10 Hz से नीचे नहीं" की ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन के प्रभारों के बराबर की दरों पर विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार लागू होंगे।

(3) इस विनियम के उप–विनियम (1) व (2) में कम निकासी/अति इन्जेक्शन के लिये और अतिनिकासी/कम इन्जेक्शन के लिये विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमाएं पार करने हेतु प्रत्येक राज्य घटक के लिये विचलन हेतु प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों की संगणना के लिये कार्यविधियां इन विनियमों के क्रमशः संलग्नक I और संलग्नक II के अनुसार होगी।

(4) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन नियत किये गये विचलन हेतु प्रभारों के अतिरिक्त ग्रिड फ्रीक्वेन्सी "49.70 Hz से नीचे होने पर विद्युत की अतिनिकासी या कम इन्जेक्शन के लिये विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार इस विनियम के उप–विनियम (6) में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार लागू होंगे और यह "49.70 Hz से नीचे " की ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप 824.04 पैसे/KWh के विचलन हेतु प्रभार के 100% के बराबर होगा।

(5) ग्रिड फ्रीक्वेन्सी " 49.70 Hz और अधिक" होने पर ऊपर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमा से अधिक प्रत्येक समय खण्ड के लिये विद्युत विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार, ग्रिड डिसिप्लिन की ओर क्रेताओं और विक्रेताओं के व्यवहार का उचित ध्यान रखते हुए समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेंसी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभारों के प्रतिशत के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगे:

परन्तु आयोग ऊपर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमा से अधिक होने पर अनुसूची से विभिन्न % विचलन पर निर्भर करते हुए अति निकासियों और के इन्जेक्शन्स के लिये विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के लिये विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(6) ग्रिड फ्रीक्वेन्सी " 49.70 Hz से कम" पर प्रत्येक समय खण्ड के लिये विद्युत की अतिनिकासियों और प्रभार, ग्रिड डिसिप्लिन की ओर क्रेताओं और विक्रेताओं के व्यवहार का उचित ध्यान रखते हुए समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभारों के प्रतिशत के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगे:

परन्तु आयोग अतिनिकासियों और कम इन्जेक्शन्स के लिये तथा "49.70 Hz से नीचे" फ्रीक्वेन्सी की विभिन्न सीमाओं हेतु विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के लिये विभिन्न देय विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(7) किसी राज्य घटक अर्थात क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा एक दिशा में अनुसूची से सतत विचलन (सकारात्मक या नकारात्मक) विचलन की स्थिति में उन्हें प्रत्येक 12 समय खण्डों के पश्चात कम से कम एक बार अनुसूचित परिवर्तन से उनके विचलन का संकेत करना होगा। यह समझाने के लिये कि क्रेता/विक्रेता का 7.30 बजे से 10.30 बजे तक अनुसूची से सकारात्मक विचलन है, अनुसूची से इसके विचलन का संकेत 13वें समय खण्ड में अर्थात 10.30 बजे से 10.45 बजे तक यथा स्थिति सकारात्मक से नकारात्मक अथवा नकारात्मक से सकारात्मक में परिवर्तित किया जायेगा।

(8) विनियम 5 के अधीन विचलन हेतु प्रभारों और इस विनियम के उप–विनियम (1) व (2) के अधीन विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान, इन विनियमों के उप–विनियम (7) के उपबन्धों के उल्लंघन या प्रत्येक समय–खण्ड हेतु इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अतिनिकासी/कमनिकासी या कम इन्जेक्शन/अति इन्जेक्शन की सीमाओं के उल्लंघन पर विद्युत अधिनियम की धारा 142 के अधीन आयोग द्वारा उपयुक्त समझी गई किसी कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आरोपित किये जायेंगे।

(9) विद्युत के अति निकासी/कम इन्जेक्शन और कम निकासी/अति इंजेक्शन हेतु प्रभारों की संगणना SLDC द्वारा की जायेगी।

(10) SLDC साप्ताहिक रूप से ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के " 49.70 Hz और इससे अधिक के समय, सभी समय खण्डों के लिये प्रत्येक क्रेता और विक्रेता हेतु देय/प्राप्तियोग्य विचलन हेतु प्रभारों की तदनुरूप राशि और अति निकासी/कम इन्जेक्शन व अति इन्जेक्शन/कम निकासी की मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए विचलन लेखे में उनके रिकॉर्डस वेब साईट पर प्रकाशित करेगा।

9. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के अनुदेशों का पालनः

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी विक्रेता और क्रेता ग्रिड सुरक्षा और ग्रिड डिसिप्लिन के हित में इन्जेक्शन एवं निकासी पर SLDC के अनुदेशों का कठोरता से अनुपालन करेंगे।

10. विचलन हेतु प्रभारों का लेखाकरणः

(1) राज्य ऊर्जा लेखे मासिक आधार पर तैयार किये जायेंगे और विचलन प्रभारों तथा रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों के वितरण SLDC द्वारा प्रदान किये गये डाटा के आधार पर साप्ताहिक रूप SLDC द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा इन्हें पिछले रविवार की मध्य रात्रि पर समाप्त होने वाली सात दिन की अवधि हेतु मंगलवार तक सभी राज्य घटकों को जारी किया जायेगा।

(2) विचलन हेतु प्रभारों के कारण सभी भुगतान जिसमें इन विनियमों के अधीन लेवी लगाये गये विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार व विलंब से भुगतान हेतु ब्याज यदि कोई है, सम्मिलित है, को "राज्य विचलन पूल खाता" नाम की निधि में जमा किया जायेगा जिसका प्रचलन इन विनियमों के उपबंधों के अधीन राज्य प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जायेगाः

परन्तुः

(i) आयोग "राज्य विचलन पूल खातों" के प्रचालन हेतु किसी अन्य एन्टिटि को आदेश द्वारा निदेशित कर सकता है।

(iii) विचलन हेतु प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के मुख्य घटक और ब्याज घटक हेतु SLDC द्वारा पृथक लेखा बही रखी जायेगी।

(3) "राज्य विचलन पूल खातों" में प्रगत सभी भुगतानों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जायेगाः

(i) पहले विचलन हेतु प्रभारों की वसूली पर उपगत कोई लागत या व्यय या अन्य प्रभार के भुगतान,
(ii) अगला अतिशोध्य या शास्तिक ब्याज के भुगतान, यदि लागू हों,
(iii) अगला साधारण ब्याज में भुगतान,
(iv) अंत में विचलन हेतु प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान,

स्पष्टीकरणः क्रेता/विक्रेता द्वारा लिये गये विचलन हेतु किसी अतिरिक्त प्रभार को "राज्य विचलन पूल खाते" में डाला जायेगा।

11. विचलन हेतु प्रभारों के भुगतान की अनुसूचीः

(1) विचलन हेतु प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता होगी और संबंधित क्रेता/विक्रेता "विचलन हेतु प्रभारों का विवरण जारी होने के 7 (सात साल) दिन के भीतर इंगित राशि जिसमें SLDC द्वारा विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार सम्मिलित है, का भुगतान राज्य विचलन पूल खाते में करेगा।

(2) यदि विचलन हेतु प्रभार, जिसमें विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार भी सम्मिलित है के विरूद्ध भुगतान दो दिन से अधिक अर्थात SLDC द्वारा विवरण जारी किये जाने की तिथि से नौ (9) दिन विलंबित हो जाते हैं तो क्रेता/विक्रेता को 0.04% प्रतिदिन की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।

(3) विचलन हेतु प्रभारों के कारण कोई राशि प्राप्त करने के हकदार क्रेता/विक्रेता को सभी भुगतान "राज्य विचलन पूल खाते" में भुगतान की प्राप्ति के 5 कार्य दिवसों के भीतर किये जायेंगे:

परन्तु

(i) राज्य विचलन पूल खाते में विचलन हेतु प्रभारों और उन पर ब्याज यदि कोई है, में विचलन हेतु प्रभारों का विवरण जारी किये जाने से 9 दिनों से अधिक विलंब होने के मामले में क्रेता/विक्रेता जिन्हें विचलन हेतु भुगतान या उस पर ब्याज का भुगतान प्राप्त करना है को राज्य विचलन पूल खाते में यदि कोई शेष उपलब्ध है में से भुगतान किया जायेगा। यदि उपलब्ध शेष राशि क्रेता/विक्रेता को भुगतान करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य विचलन पूल खाते में से भुगतान निधि में उपलब्ध शेष राशि से आनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

(ii) "राज्य विचलन पूल खाते" में भुगतान में विलंब हेतु ब्याज में भुगतान का दायित्व ब्याज का भुगतान होने तक इस तथ्य में होते हुए भी बना रहेगा कि क्रेता/विक्रेता जिन्हें भुगतान प्राप्त करना है, को पूर्णतः या आंशिक रूप से "राज्य विचलन पूल खाते" में से भुगतान किया गया है।

(4) ऐसे सभी क्रेता/विक्रेता जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विचलन हेतु प्रभारों जिसमें विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार भी सम्मिलित हैं, का पिछले वर्ष के दौरान किसी समय भुगतान करने में असफल रहे हैं, उन्हें वर्ष के 14 अप्रैल से पहले SLDC के पक्ष में पिछले वर्ष में विचलन हेतु अपने औसत देय साप्ताहिक दायित्व के 11% के बराबर प्रत्यय पत्र (LC) खोलना होगा।

परन्तु

(i) यदि कोई क्रेता/विक्रेता वर्तमान वर्ष के दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय तक विचलन हेतु प्रभार जिसमें विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार सम्मिलित है, का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे भुगतान की देय तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पक्ष में साप्ताहिक बकाया दायित्व के 11% के बराबर प्रत्यय पत्र (LC) खोलना होगा।

(ii) यदि यह पिछली LC की राशि से 50% से अधिक बढ़ती है तो LC की राशि में वर्ष के दौरान किसी सप्ताह में "विचलन हेतु देय साप्ताहिक दायित्व में 11% की वृद्धि की जायेगी।

उदाहरण: यदि 2016–17 के दौरान क्रेता/विक्रेता के विचलन हेतु औसत देय साप्ताहिक दायित्व रू0 20 करोड़ है तो क्रेता /विक्रेता 2017–18 में रू0 22 करोड़ हेतु LC खोलेगा। यदि 2017–18 में किसी सप्ताह के दौरान साप्ताहिक देय दायित्व रू0 35 करोड़ है जो कि रू0 33 करोड़ की पिछली LC राशि के 50% से अधिक है, तो क्रेता/विक्रेता रू0 16.5 करोड़ जोड़ कर LC राशि को रू0 38.5 करोड़ (1.1x35.0) करेगा।

(5) विचलनों हेतु प्रभारों का विवरण जारी किये जाने की तिथि से 9 दिनों के विनिर्दिष्ट समय के भीतर "राज्य विचलन पूल खाते" मे भुगतान करने में असफल रहने की स्थिति में SLDC चूक की सीमा तक क्रेता/विक्रेता LC को भुगताने का हकदार होगा तथा क्रेता/विक्रेता 3 दिन के भीतर LC की राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

12. विचलनों द्वारा एकत्रित निधि का उपयोजन:

माह के अन्तिम दिन राज्य विचलन पूल खाते में यदि कोई राशि अधिशेष है तो इसे अगले माह के प्रथम सप्ताह में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट "राज्य ऊर्जा प्रणालियां विकास निधि" नाम की पृथक निधि में अंतरित किया जायेगा तथा इसका उपयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिये किया जायेगा।

13. शिथिलीकरण की शक्ति :

आयोग कारण लिखित में अभिलिखित कर, साधारण या विशेष द्वारा तथा उन पक्षों, जिन पर शिथिलीकरण का प्रभाव होना है, को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपने स्वयं के प्रस्ताव से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पर इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

14. निर्देश जारी करने की शक्ति :

यदि इन नियमों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग अपने स्वयं के प्रस्ताव से किसी प्रभावित पक्ष द्वारा किये गये आवेदन पर ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो इन विनियमों के उद्देश्य और प्रयोजन को अग्रसरित करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

15. आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को परिवर्तित, परिशोधित या संशोधित कर सकता है।

16. कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति :

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग एक सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा अधिनियम को उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध बना सकता है जो कि कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

सलंग्नक—I

क्रेता/विक्रेता द्वारा अतिनिकासी/कम इन्जेक्शन हेतु विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमाओं को पार करने हेतु प्रत्येक क्रेता/विक्रेता के लिये विचलन के प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों की संगणना हेतु कार्य विधियां

1. ग्रिड फ्रीक्वेंसी 49.7 Hz या इस से अधिक होने पर

A. जब MW में एक समय खण्ड में अनुसूची से विचलन (D_{tb}) प्रत्येक समय खण्ड में अनुसूची में (+/-) 10% से कम है तो केता/विकेता द्वारा देय विचलन हेतु सामान्य प्रभारों पर होगा,

B. जब MW में एक समय खण्ड में अनुसूची से विचलन (D_{tb}) प्रत्येक समय खण्ड में अनुसूची में (+/-) 10% से अधिक है

(i) $D_{tb} = D_0 + D_{10}$

जहां

$D_0 =$ अनुसूचित निकासी/इन्जेक्शन का (+/-) 10%

$D_{10} =$ अनुसूचित निकासी/इन्जेक्शन का (+/-) 10% से अधिक विचलन

(ii) $D_{10} = D_{tb} - D_0$

(iii) D_{tb} के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार विचलन के सामान्य प्रभारों पर केता/विकेता द्वारा देय होंगे, इसमें अतिरिक्त D_{tb} के लिये विचलन हेतु ग्रेडेड अतिरिक्त प्रभार, प्रत्येक स्लैब में वृद्धिकारक विचलन हेतु विचलन के प्रभार की यथास्थिति 20%, 40%, 100% दर पर प्रति टर्म के आधार पर मात्रा की सीमा पार करने के लिये अति—निकासी/कम—इन्जेक्शन हेतु केता/विकेता द्वारा देय होंगे।

2. ग्रिड फ्रीक्वेंसी 49.7 Hz से कम होने पर

D_{tb} के तदनुरूप अति—निकासी/कम इन्जेक्शन के लिये विचलन हेतु प्रभार केता/विकेता द्वारा 824.04 पैसे/kWh पर देय होंगे। इसके अतिरिक्त D_{tb} के लिये विचलन हेतु अतिरिक्त विचलन प्रभार केता/विकेता द्वारा 824.04 पैसे/kWh पर देय होंगे।

संलग्नकः II

केता/विक्रेता द्वारा कम निकासी/अति–इन्जेक्शन के लिये विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमाएं पार करने हेतु प्रत्येक केता/विकेता के लिये विचलन के प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों की संगणना हेतु कार्यविधियां

A. MW में एक समय खण्ड में अनुसूची से विचलन (D_{tb}) प्रत्येक समय–खण्ड में अनुसूची में (-/+) 10% से कम होने पर केता/विक्रेता द्वारा (D_{tb}) विचलन हेतु सामान्य प्रभारों पर प्राप्ति योग्य होगा,

B. MW में एक समय खण्ड में अनुसूची से विचलन (D_{tb}) प्रत्येक समय खण्ड में अनुसूची में (-/+) 10% से अधिक होने पर

(i) $D_{tb} = D_0 + D_{10}$

जहां

$D_{0=}$ अनुसूचित निकासी/इन्जेक्शन का (-/+) 10% से अधिक विचलन

(ii) $D_{10} = D_{tb} - D_0$

(iii) D_0 के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार केता/विक्रेता द्वारा विचलन के सामान्य प्रभारों या सीलिंग दर, दोनों में जो कम हो, पर प्राप्ति योग्य होंगे। केता/विक्रेता D_{10} हेतु किसी प्राप्ति योग्य के हकदार नहीं होंगे।

C. इन विनियमों के विनियम 4 के उप–विनियम (2) के अनुसार ग्रिड फ्रीक्वेंसी 50.10 Hz या इस से अधिक होने पर विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार, कम निकासी अति–इन्जेक्शन के लिये केता/विक्रेता द्वारा देय होंगे।